(121)

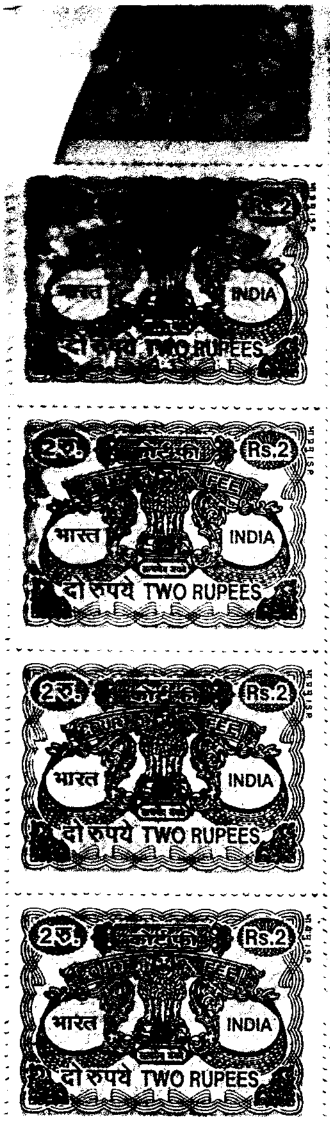

माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प इंदौर (म.प्र.)

P 1214-PBR/17

1. राकेश पिता करणसिंह सोलंकी
2. दिलिप पिता करणसिंह सोलंकी
3. महेश पिता करणसिंह सोलंकी
4. नारायण पिता रामाजी प्रजापत
5. किशन पिता गणपत तंवर
6. तेजसिंह पिता बाबूलाल तंवर
7. बद्रीलाल पिता गंगाराम प्रजापत
8. बालकृष्ण पिता गंगाराम प्रजापत
9. विक्रम पिता बाबुलाल तंवर
10. राकेश पिता तेजप्रकाश कुशवाह
11. विष्णु पिता तेजप्रकाश कुशवाह

सभी निवासी – ग्राम तलावली चांदा
तहसील व जिला इंदौर म.प्र. ———प्रार्थी

विरूद्ध

1. श्रीमती शोभा पति डॉ. गोविंद मिश्रा
निवासी भागीरथ कृपा 104/2/2 बिचौली हप्सी इंदौर
2. रमजान पिता मुनीर अली
3. सावित्री पति मुनीर अली
4. शौकत पिता मुनीर अली
5. कमल पिता जगन्नाथ चौहान
6. वासुदेव पिता चैनाजी परमार
7. रामप्रसाद पिता वासुदेव

सभी निवासी – ग्राम तलावली चांदा तहसील व जिला इंदौर

——— प्रतिप्रार्थी

श्री [illegible] तिवारी
आवे. द्वारा दि. 19-4-17
[illegible]
19-4-17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

[signature]

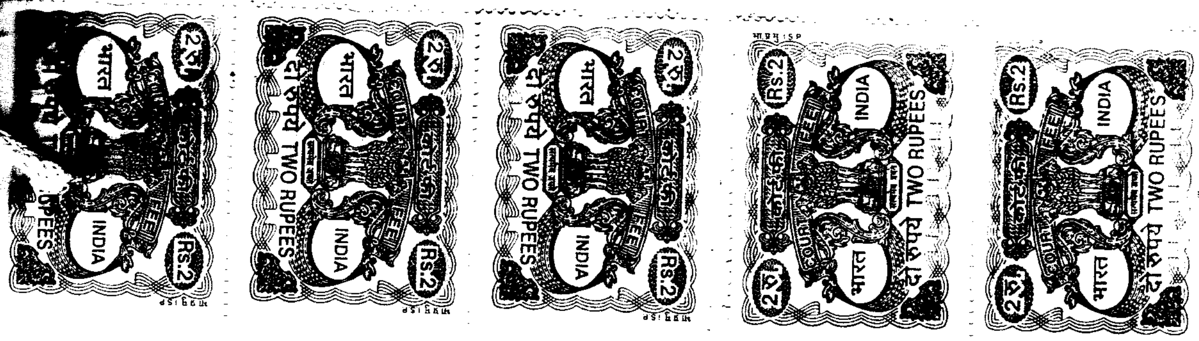

R 1214-PB/217

महोदय,

निगरानीकर्ता/प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी याचिका श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील व जिला इंदौर के रा.प्र.क्र. 132/अ12/10–11 में पारित आदेश दिनांक 20/06/2011 के विरूद्ध जानकारी दिनांक के आधार पर नियत समयावधि में प्रस्तुत की जा रही हैं।

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि प्रतिप्रार्थी कमांक 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम तलावली चांदा तहसील व जिला इंदौर के सर्वे नंबर 164/1/1, 164/1/2, 164/4 के सीमांकन हेतु संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । उक्त आवेदन पत्र के आधार पर तहसीलदार महोदय द्वारा राजस्व निरीक्षक को सीमांकन किये जाने हेतु आदेशित किया गया ।

2. यह कि, तहसीलदार महोदय के आदेश के पालन में संबंधित राजस्व निरीक्षक द्वारा तथाकथित सीमांकन किया जाकर प्रतिवेदन श्रीमान तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया उक्त सीमांकन प्रतिवेदन में प्रार्थीगण को अतिकमणकर्ता बताते हुए फील्ड बुक मय पंचनामे के अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की । लेकिन प्रार्थीगण को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया जाकर उन्हें सूचना पत्र तक जारी नही किया गया । तथा ऐसे असंवैधानिक सीमांकन की पुष्टि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2011 को अपने आदेश में कर दी । उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्तागण द्वारा यह निगरानी निम्नांकित वैधानिक आधारों पर प्रस्तुत की जा रही हैं।

निगरानी के आधार

1. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान एवं प्रक्रिया के सर्वथा विपरीत

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1214–पीबीआर/17 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–5–2017	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–6–2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 19–4–2017 को लगभग 6 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है और विलम्ब का कारण आवेदकगण को आदेश की सूचना नहीं दिया जाना बतलाया गया है जो कि समाधानकारक कारण नहीं है । अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया समय बाह्य प्रस्तुत होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	